

1- योजना का नाम :- अम्बेडकर विहार आवास योजना

प्रस्तावित अम्बेडकर विहार योजना चौफटका फ्लाईओवर के समीप जी0टी0 रोड पर स्थित है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से मात्र 5 मिनट, उच्च न्यायालय से 2 मिनट तथा पवित्र संगम स्थल से 15 मिनट की दूरी पर स्थित है।

2- पंजीकरण हेतु पात्रता :-

2.1 आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

2.2 आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय आवेदन कर सकते हैं।

2.3 आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास इलाहाबाद विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद अथवा अन्य विभाग द्वारा इलाहाबाद में आवंटित कोई भी भवन/भूखण्ड नहीं होना चाहिए एवं आवेदित सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश में दो से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं होने चाहिए। (परिवार से आशय पति/पत्नी एवं नाबालिग बच्चों से है।)

3- भवनों का विवरण :-

संपत्ति कोड	क्र. सं.	फ्लैटों का विवरण	आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	फ्लैटों की कुल संख्या (प्रत्येक मंजिल को जोड़कर)	अनुमानित मूल्य प्रति फ्लैट, (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
130	1	टाइप- II (सत्यम्) (01-बेडरूम, 01 लिविंग रूम, किचेन, 01 बाथ कम टॉयलेट)	43.75	31	8.62	0.86
135	2	टाइप- III (शिवम्) (02-बेडरूम, 01 ड्राईंग-कम-डाइनिंग-रूम, किचेन, 02 बाथ कम टॉयलेट)	65.00	47	12.81	1.30
140	3	टाइप-IV (सुन्दरम्) (02-बेडरूम, 01 ड्राईंग-कम-डाइनिंग-रूम, किचेन, 02 बाथ कम टॉयलेट)	75.00	44	14.78	1.50

नोट :

- फ्लैट का मानचित्र पुस्तिका में उपलब्ध है।
- मॉडल फ्लैट अवलोकन के लिए तैयार है परन्तु इनमें प्रयुक्त विद्युत फिटिंग, यथा-ट्यूब लाइट, फैंसी लैम्प, एकजास्ट फैन आदि फ्लैट के मूल्य में सम्मिलित नहीं है। इन्हें आवंटी को स्वयं लगाना होगा।

4- भुगतान पद्धति :

4.1 अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक किसी भी श्रेणी के फ्लैट हेतु कुल मूल्य के 5 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि फ्लैट के मूल्य में किसी भी श्रेणी हेतु कोई भी छूट नहीं है। पंजीकरण की अवशेष 5 प्रतिशत किश्तों में समयोजित की जायेगी।

- 4.2 आवंटन—पत्र निर्गत होने के एक माह के अंदर बिना ब्याज के समस्त धनराशि के भुगतान की सुविधा।
- 4.3 प्लैट का मूल्य ब्याज सहित 04 त्रैमासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा।
- 4.4 प्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् प्लैट के मूल्य का 1 प्रतिशत अनुरक्षण शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा।
- 4.5 कवर्ड पार्किंग निर्धारित मूल्य के आधार पर लाटरी द्वारा उपलब्ध।

5— आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में :

- 5.1 यदि आवंटी या आवेदन की मृत्यु हो जाती है तो उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

6— आरक्षण :-

- 6.1 शासनादेश संख्या 4982/9—आ—1—99—79 बैठक/99, दिनांक 17 दिसम्बर 1999 के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा :

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जन जाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक, सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	05
6.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	02
7.	भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित	03
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	01

- 6.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाय, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हॉरिजोण्टल होगा।

- 6.3 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने "इस विज्ञापन की अवधि (31.08.09) में 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।" इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आशु प्रमाण—पत्र संलग्न करें।

- 6.4 आरक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

- 6.5 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय—समय पर किये गये संशोधन आदेश लागू होंगे।

7— आवंटन :

- 7.1 आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा। लाटरी तिथि की सूचना समाचार पत्रों व प्राधिकरण वेबसाइट के माध्यम से की जायेगी।

- 7.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से नोटिस बोर्ड व प्राधिकरण की वेबसाइट www.ada.iiita.ac.in पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- 7.3 पंजीरकण अवधि समाप्त होने की तिथि के पश्चात् एक पक्ष की अवधि में आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।
- 7.4 भूमि का मूल्य आवंटन तिथि को प्रचलित दर के अनुसार देय होगा।
- 7.5 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र रद्द कर दिये जायेंगे।
- 7.6 आवंटी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी कारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह पत्र आवंटी को प्राप्त माना जायेगा तथा इस विषय में कोई अन्यथा दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 8— पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी :**
- 8.1 असफल आवेदकों को लाटरी के उपरान्त 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण द्वारा बिना कटौती तथा बिना ब्याज के पंजीकरण धनराशि बैंक एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 8.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् धनराशि वापस लेने पर 20 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि पर कटौती के उपरान्त अवशेष बिना ब्याज के देय होगी।
- 9— तथ्यों का छिपाना :**
- यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई गई है तो उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दें तथा आवंटी द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लें। इसके लिए अन्य कानूनी कार्यवाही जो प्राधिकरण उचित समझे, की जा सकती है।
- 10— लीजरेंट :**
- प्राधिकरण द्वारा आवंटित प्लैट का निबन्धन लीज भूमि के रूप में किया जायेगा। लीजरेंट के रूप में भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत निबन्धन के पूर्व देय होगा।
- 11— प्लैट का कब्जा :**
- 11.1 आवंटन तिथि के एक माह के अन्दर एक मुश्त धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करने पर ब्याज देय नहीं होगा।
- 11.2 प्लैट का कब्जा समस्त मूल्य जमा कर रजिस्ट्री सम्पादित हो जाने के उपरान्त दिया जायेगा।
- 11.3 आवंटी द्वारा अपनी सुविधानुसार अनुबन्ध के पश्चात् कभी भी प्लैट के निबन्धन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- 11.4 अनुबन्ध/निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय आवंटी को वहन करना होगा।
- 11.5 निबन्धन निष्पादन के तीन माह तक कब्जा न लेने पर नियमानुसार अनुरक्षण व्यय देय होगा तथा उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दें।
- 12— प्लैट को बन्धक रखने का प्रावधान :**
- 12.1 आवंटी को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से ऋण प्राप्त करने के लिए प्लैट बंधक रखने का अधिकार होगा।
- 13— कर आदि की देयता :**
- 13.1 प्लैट के सम्बन्ध में नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवंटी द्वारा देय होंगे।

14- अन्य सामान्य नियम व शर्तें :

- 14.1 आवेदक को अपना बैंक एकाउन्ट नम्बर व बैंक का नाम देना अनिवार्य होगा।
- 14.2 प्लैट की स्थिति, क्षेत्रफल एवं मूल्य प्रोविजनल है तथा विकास कार्यों के निष्पादन के फलस्वरूप इनमें परिवर्तन हो सकता है।
- 14.3 प्राधिकरण द्वारा दिये गये भुगतान शेड्यूल के अनुसार नियत सम पर धनराशि का भुगतान करना आवंटी का दायित्व है। बकाया धनराशि जमा करने के लिए अनुस्मारक पत्र भेजना प्राधिकरण का दायित्व नहीं है। देय धनराशि समय से जमा न करने पर प्राधिकरण को नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।
- 14.4 विकास कार्य/निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें, नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।
- 14.5 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र इलाहाबाद होगा।
- 14.6 प्राधिकरण में पंजीकरण होने के आधार पर आवेदक को सुनिश्चित आवंटन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- 14.7 पुराने पंजीकरण मान्य नहीं होंगे।

15- पंजीकरण प्रक्रिया :

- 15.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक **31.10.09** तक किसी भी कार्य दिवस में ₹0 200/- नकद भुगतान कर इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के जन सम्पर्क कार्यालय प्राधिकरण वेबसाइट अथवा एच0डी0एफ0सी0 बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है। (बैंक शाखाओं का विवरण पुस्तिका में दिया गया है।)
- 15.2 पंजीकरण पुस्तिका ₹0 250/- का बैंक ड्राफ्ट "सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण" के पक्ष में भेजकर डाक द्वारा भी मंगायी जा सकती है।
- 15.3 विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र पूर्ण रूपेण भरें। पंजीकरण धनराशि एवं अन्य समस्त भुगतान, ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा "सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण" के पक्ष में देय होंगे। विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारूप को ₹0 10/- के स्टैम्प पेपर पर टंकित एवं नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र बैंकों की निर्दिष्ट शाखाओं में अंकित तिथि से पूर्व जमा किये जा सकते हैं, जिनकी सूची विवरण पुस्तिका में आगे दी गयी है।

16- विनियमों में किसी बात के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण हित में उपाध्यक्ष को अन्यथा निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा।

17- आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश :

- 17.1 आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण भरे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 17.2 शासनादेश के अनुक्रम में भवन का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से किए जाने की व्यवस्था है। अतः आवेदक की सुविधा के लिए आवेदन पत्र पर पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है।

- 17.3 संयुक्त नाम (केवल पति व पत्नी) से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र दोनों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिए। पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किये गये आवेदनों के अतिरिक्त अन्य आवेदन संयुक्त नाम से स्वीकार नहीं होंगे।
- 14.4 आवेदन पत्र पर आवेदक/आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा।
- 14.5 आवेदक द्वारा बैंक ड्राफ्ट के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन पत्र का क्रमांक अंकित कर दिया जाना चाहिए।

18— कोटा कोड


सामान्य	01
अनुसूचित जाति	02
अनुसूचित जनजाति	03
अन्य पिछड़ा वर्ग	04
भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	05
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जे 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	06
समाज के विकलांग व्यक्ति	07
मा0 सांसद, विधायक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	08
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी।	10

10. वैवाहिक स्तर –	विवाहित	<input type="text" value="M"/>	अविवाहित	<input type="text" value="S"/>
11. व्यवसाय कोड –	सरकारी सेवा	<input type="text" value="10"/>	व्यवसाय	<input type="text" value="20"/>
	कृषि	<input type="text" value="30"/>	स्वराजगोर	<input type="text" value="40"/>
	प्राइवेट सेक्टर	<input type="text" value="50"/>	अन्य	<input type="text" value="60"/>

उपाध्यक्ष
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

(इंदिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद)



शपथ-पत्र का प्रारूप

(शपथ-पत्र रू० 10/- जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।)

मैं/हम श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री.....
आयु वर्ष निवासी

शपथपूर्वक यह बयान करता/करती हूँ/करते हैं कि :-

1. मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।
2. मेरे या मेरे परिवार (पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों) के पास इलाहाबाद नगर में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद् अथवा अन्य विभाग द्वारा आवंटित कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं आवेदित सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश में दो से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि यह घोषणा भविष्य में असत्य पायी जाये तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड/भवन निरस्त कर दे तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ले। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने/दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व की भांति मुझसे वसूल कर लें।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा/करूंगी।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. आवेदन पत्र मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वे सत्य हैं।
6. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है वह कम से कम अगले दो वर्ष तक मान्य रहेगा।

हस्ताक्षर